

॥ श्री ॥

निगरानी प्रकरण क्रमांक :/2018

**श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर म.प्र.
ग्वालियर के न्यायालय में**

बद्रीलाल पिता श्री बाबुलाल,
आयु-वयस्क, व्यवसाय-कृषि
निवासी-ग्राम नेवरी तहसील हातोद
जिला इन्दौर (म.प्र.)

PBR/निमं/इंदौर/भू.शं./२०१८/२५१५

.....प्रार्थी

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा पटवारी हल्का नेवरी
तहसील हातोद जिला इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर के
अपील प्रकरण क्रमांक 0480/अपील/2017-18 में दिनांक
26/03/2018 की आदेशिका जिसके अंतर्गत प्रार्थी के द्वारा
प्रस्तुत स्थगन आवेदन धारा 52 पर कुछ भी आदेश ना देते
हुए दिनांक 26/03/2018 को जो आदेशिका में आदेश
पारित किया है, उससे असंतुष्ट होकर यह निगरानी
निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-


॥ प्रकरण के तथ्य ॥

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम नेवरी
तहसील हातोद जिला इन्दौर की सर्वे नम्बर 298 एवं 299
रकबा क्रमशः 2.525 हेक्टर एवं 0.405 हेक्टर की भूमि
शासकीय अभिलेखों में तालाब/पाल के रूप में दर्ज रही है।
2. यह कि, उक्त ग्राम नेवरी की बसाहट 100 वर्ष से भी
अधिक पुरानी होकर पूर्व में होल्कर राज्य के समय में उक्त
भूमि में तालाब रहा होगा, किन्तु कालांतर में यह तालाब की
भूमि पूर्ण रूप से गांव के बसाहट में आ गयी होने से तथा
तालाब में पानी ना भरने के कारण इस भूमि का तालाब के
रूप में विगत 70-80 वर्षों से अधिक समय से उपयोग
नही हो रहा है। कालांतर पश्चात् ग्राम वासियों ने इस पाल
की भूमि पर रहवासी मकान, अपने पशुओं को बांधने के
कोठे एवं कृषि उपकरण आदि रखने के लिये उपयोग में
लायी है। वस्तुतः यह तालाब की भूमि अब गांव के मध्य में

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका (बट्टीलाल/शासन)

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/2018/

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-4-2018	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री योगेश वर्मा उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-3-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित प्रकरण में स्थगन आवेदन पर बहस होने के उपरांत भी कोई आदेश पारित नहीं करने के कारण प्रस्तुत की गई है। अतः इस निगरानी का अंतिम निराकरण अपर आयुक्त को इन निर्देशों के साथ किया जाता है कि वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन पर आदेश पारित करें । अपर आयुक्त को इन निर्देशों के साथ यह निगरानी समाप्त की जाती है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>